FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajastan State from the Mundawar (061) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri Lalit Yadav

VPO-Fauladpur, Teh.-Neemrana, Distt.- Kotputli-Behror sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- Babu Shobharam Government Arts College, Alwar

Date :- <u>03-12-2023</u>

(Priyanka Badgujar) Returning Officer 061-Mundawar

A STATE OF THE STA

रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुण्डावर-61 (SDM) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

मुण्डावर (061) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि -

श्री लितत यादव, ग्राम पोस्ट - फौलादपुर, तहसील - नीमराना, जिला- कोटपूतली-बहरोइ जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त पार्टी) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्ता निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।
स्थान - बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर
तारीख - 03.12.2023

(प्रियंका बडगूजर) रिटर्निंग अधिकारी 061 मुण्डावर रिटर्निंग अधिकारी विघानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुण्डावर-61 (SDM) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)